राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 5(51)कार्मिक/क–2/88पार्ट जयपुर, दिनांक 13-04-2012

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर्स सहित)

परिपत्र

वर्तमान में मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान की जाती है। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की दिनांक से 90 दिवस की अवधि में मृतक आश्रित द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु मृतक जिस विभाग में मृत्यु के समय कार्यरत था, में आवेदन प्रस्तुत करने पर तथा वांछित सूचनाओं की पूर्ति करने पर विभागाध्यक्ष द्वारा उनके अधीन कार्यालय में आश्रित को नियुक्ति प्रदान की जाती हैं।

शासन के ध्यान में आया है कि आश्रित के निर्धारित समयावधि में आवेदन करने के उपरान्त भी प्रशासनिक विभाग द्वारा मृतक आश्रित को नियुक्ति में अनावश्यक रूप से विलम्ब किया जाता है जो उचित नहीं है।

अतः समस्त सक्षम प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उनके यहां लम्बित अनुकम्पात्मक नियुक्ति संबंधी प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु नियमानुसार कार्यवाही करें एवं जिन प्रकरणों में शिथिलन प्रदान करने की आवश्यकता हो उन प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर कार्मिक विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें, ताकि कार्मिक विभाग उन पर त्वरित कार्यवाही कर सके।

(खेमराज)
प्रमुख शासन सचिव

20/2012